संख्याः 193/XXVII (1)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांक: 25 :मार्च,2011

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल धनराशि ₹92545000.00 (₹ **नौ करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार मात्र**) को संलग्नानुसार अंकित धनराशि के अनुसार निम्नलिखत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2 (1)– संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत को देय धनराशि/प्रतिशत अंश द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के संस्तुतियों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3)– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम् 15 दिन में सम्बन्धित पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी।

(4) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का व्ययावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त बदलाव अनुमन्य होगा।

(5)– उपयोग प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार उत्तराखण्ड, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायत राज को भेजा जाएगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

3– इस सम्बंध में होने वाली व्यय की धनराशि रू0 44240000.00 चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय

निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–198–ग्राम पंचायतें–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा अवशेष धनराशि रू0 48305000.00 लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–पंचायतीराज संस्थायें–197–विकास खण्ड स्तरीय पंचायत–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार वहन किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या: 193 (1)/XXVII (1)/2011,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कुँमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव,ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव,पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक,पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
6– जिला पंचायत राज अधिकारी,नैनीताल एवं रूद्रप्रयाग,उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल एवं रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।
9– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, नैनीताल एवं रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।
10–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः– 193/XXVII(1)/2011 दिनांकः 25 :मार्च,2011 का संलग्नक। द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ग्राम पंचायतों को विकासखण्डवार देय समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	नैनीताल	बेतालघाट	71	6705
		भीमताल	62	5460
		धारी	35	3704
		हल्द्वानी	69	16654
		कोटाबाग	38	5369
		ओखलकांडा	76	8826
		रामगढ़	56	5819
		रामनगर	53	8556
		योगः–	460	61093
2.	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	156	16040
		जखोली	102	7574
		ऊखीमठ	65	7838
		योग	323	31452
		महायोगः–	783	92545

(₹ नौ करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।